भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1957
(जिसका उत्तर सोमवार, 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया जाना है)
"जीएसटी से संबंधित आपराधिक मामले"

1957. श्री पी वी मिथुन रेड्डी:
श्री एन. रेड्डप्पः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में माल और सेवा कर से संबंधित दर्ज आपराधिक मामलों की कुल संख्या क्या है;

(ख) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार इन दर्ज जी.एस.टी. अपराध मामलों में पाई गई गबन की कुल राशि, की गई वसूली और गिरफ्तार किये गए लोगों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) देश में जी.एस.टी. से जुड़े अपराधों को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं /उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान केंद्रीय जीएसटी संरचनाओं द्वारा पंजीकृत माल और सेवा कर (जीएसटी) अपराध के मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	माल और सेवा कर अपराध के दर्ज मामलों की कुल संख्या
2017-18	424
2018-19	7368
2019-20	10657
2020-21	12596
2021-22	12574
2022-23 (फ़रवरी, 2023 तक)	13492

ख) 2017-18 से फरवरी, 2023 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जीएसटी अपवंचन की कुल राशि,वसूली की गई राशि और पंजीकृत जीएसटी अपराध मामलों के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	राशि (करोड़ रूपये में)	वसूली की गई राशि (करोड़ रूपये में)	गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1	0
आंध्र प्रदेश	5755	2296	17
अरुणाचल प्रदेश	148	78	0
असम	1446	867	7
बिहार	2294	1248	0
चंडीगढ़	291	174	3
छत्तीसगढ	6476	3090	27
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	438	222	3
दिल्ली	24217	7057	161
गोवा	7822	229	0
गुजरात	26156	8009	179

हरियाणा	22712	5267	92
हिमाचल प्रदेश	1249	290	0
जम्मू और कश्मीर	1998	553	0
झारखंड	2336	987	4
कर्नाटक	40507	9473	35
केरल	3058	1206	10
लद्दाख	47	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	10678	3543	33
महाराष्ट्र	60059	26066	289
मणिपुर	83	26	0
मेघालय	359	246	0
मिजोरम	142	109	0
नागालैंड	102	58	0
ओडिशा	6534	2518	19
पुदुचेरी	166	74	0
पंजाब	3925	1244	60
राजस्थान	19005	9132	104
सिक्किम	335	37	0
तमिलनाडु	10698	4925	99
तेलंगाना	9783	3527	69
त्रिपुरा	307	121	0
उत्तर प्रदेश	18954	5164	130
उत्तराखंड	2305	737	17
पश्चिम बंगाल	17604	5227	44

(ग) जीएसटी संबंधी अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए महत्वपूर्ण उपायों का विवरण निम्नानुसार है:

1. जोखिमयुक्त करदाताओं की पहचान करने, उनका पता लगाने और कर वंचन की जानकारी प्राप्त करने के लिए मजबूत डाटा विश्लेषण और कृत्रिम आसूचना का प्रयोग करना;
2. नकली/जाली इन्वॉइसेस के आधार पर धोखाधड़ी करके इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को प्राप्त करने और उसे आगे भेजने वाले बेईमान निकायों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान चलाना। साथ ही, इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्ति केवल ऐसे इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स तक प्रतिबंधित, जिन्हें आपूर्तिकर्ता ने बाह्य आपूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किया गया हो;
3. सहभागी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अधिक लक्षित अंत:क्षेपों के लिए डेटा साझा करना;
4. नए जीएसटी पंजीकरणों के लिए अनिवार्य आधार-आधारित अभिप्रमाणीकरण और साथ ही ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि समय से अपना रिटर्न भरने में चूक करते हैं, के पंजीकरण का केन्द्रीय रूप से आस्थागन;
5. बी2बी संव्यवहारों के लिए ई-इन्वॉइस जारी करने की सीमा को 01.10.2022 से रु. 20 करोड़ से घटा कर रु. 10 करोड़ करना;
6. ई-वे बिल की आरएफआईडी के साथ एकीकरण और ट्रैकिंग की शुरूआत की गई है और अनुपालन न करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल को प्रतिबंधित कर दिया गया है;
7. लाभार्थी स्वामी को वास्तविक आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के समान, ऐसे मामलों में जहां आपूर्ति इन्वॉइस को जारी किए बिना की गयी हो, या बिना आपूर्ति के ही इन्वॉइस को जारी कर दिया गया हो, या अतिरिक्त आईटीसी को प्राप्त किया गया हो/वितरित किया गया हो, दंडात्मक कार्रवाई और अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाया गया; और
8. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 83 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि संपत्ति की अनंतिम कुर्की किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में की जा सकती है जो ऐसे लेनदेन का लाभार्थी है।

*****